"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2007—पौष 7, शक 1929

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं जन न्यास पंजीयन अधिकारी, गरियाबंद जिला रायपुर (छ.ग.)

गरियाबंद, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

क्रमांक अपंजीकृत ब/113/ वर्ष 2007-08 ग्राम परतेवा तहसील- राजिम, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़).—चूंकि छत्तीसगढ़ जन न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में है कि इस प्रकरण की सुनवाई मेरे न्यायालय में दिनांक 13-11-07 को स्थान गरियाबंद में समय 10.30 बजे होगी.

इस न्यास की सम्पत्ति में रुचि रखने वाले कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है तो इस सूचना के प्रकाशन के तारीख 13-11-2007 के अन्तर्गत दो प्रतियों में लिखित रूप से भेज सकता है तथा मेरे समक्ष उपरोक्त तिथि को स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित हो सकता है. इस अवधि की समाप्ति के उपरांत प्राप्त आपत्तियाँ को विचारणीय नहीं होगी.

अनुसूची

क्रमांक	मंदिर/ट्रस्ट का नाम	मंदिर की अचल सम्पत्ति का विवरण	
1.	श्री शंकर भगवान मंदिर परतेवा	ख. नं.	रकबा
		-	
		842	2100 वर्ग फीट
		80	1.24 हे.
		81	0.12 हे.

गरियाबंद, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

[छत्तीसगढ़ जन न्यास अधिनियम 1951 की धारा (2) छ. ग. जन न्यास 1962 के नियम 51 (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/15/वा-1/अविअ/07.—चूंकि छत्तीसगढ़ जन न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में है कि इस प्रकरण की सुनवाई मेरे न्यायालय में दिनांक 13-11-07 को स्थान गरियाबंद में समय 10.30 बजे होगी.

इस न्यास की सम्पत्ति में रुचि रखने वाले कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है तो इस सूचना के प्रकाशन के तारीख 13-11-2007 के अन्तर्गत दो प्रतियों में लिखित रूप से भेज सकता है तथा मेरे समक्ष उपरोक्त तिथि को स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित हो सकता है. इस अवधि की समाप्ति के उपरांत प्राप्त आपत्तियाँ कोई विचारणीय नहीं होगी.

अनुसूची

क्रमांक	मंदिर/ट्रस्ट का नाम	मंदिर की अचल सम्पत्ति का विवरण		
1.	श्री महादेव मंदिर, रोहिना	ख. नं.	रकबा	लागान
	तहसील-राजिम	691	0.27	7.80 रु.
	जिला-रायपुर (छ. ग.)	1609	0.21 हे.	
		1709	1.21 हे.	

सैय्यद अकबर अली हाशमी
अनुविभागीय अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.